न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 96 / 2002 / प्रार्थना पत्र 14(4)

कजोड़ यादव पुत्र भूराराम यादव जाति यादव निवासी खटकड़ तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1 पालाराम } पुत्रगण पदमाराम जाति अहीर निवासी खटकड़
2 मूलाराम } तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
3 तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट विरूद्व आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1999 उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना बाबत खसरा नम्बर 734 ग्राम खटकड़ तहसील नीमकाथाना

वकील प्रार्थी श्री बजरंगसिंह शेखावत
वकील अप्रार्थी श्री विजयसिंह

निर्णय दिनांकः–31.12.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0नं0 734 रकबा 0.42 है0 ग्राम खटकड़ तहसील नीमकाथाना पर आवेदक अपने पिता के समय से ही काबिज काश्तकार है तथा काफी धनराशि व्यय कर भूमि को काबिज काश्त बनाया है। आवेदक वादास्पद भूमि पर मौके पर काबिज काश्तकार है तथा भूमि मौके पर अनओक्यूपाईड नहीं होते हुये भी योग्य उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना ने अपने आदेश दिनांक 15.06.1999 द्वारा अवैध तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में आवंटन कर दी। विवादास्पद भूमि ख0नं0 734 रकबा 0.42 है0 तन ग्राम खटकड में अवस्थित है। इस भूमि पर आवेदक अपने बुजुर्गों के समय से काबिज काश्तकार है तथा आवेदक आज भी मौके पर काबिज काश्तकार है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि मौके पर खाली नहीं होते हुये भी योग्य उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में उक्त आवंटन नियमों के विरूद्ध किया है। अनावेदकगण संख्या 1 व 2 भूमिहीन नहीं है। इनके पास ग्राम खटकड़ में करीब एक सौ बीघा जमीन तथा कुआ है, जिसमें विधुत चालित पम्पिंग सैट आदि–आदि लगा हुआ है। ग्राम खटकड में ख0 नं0 544 में से 0.30 है0 पालाराम ने अपने नाम दिनांक 16.05.1999 को अलोट करवाई है ये लोग अलॉट करवाकर जमीने विक्रय करने का कारोबार करते है। योग्य अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी ने भूमि आवंटन संबंधी नियम 5 के अनुसार खाली भूमि की कोई सूची नहीं बनाई है और नियम 6 के अनुसार अन्य प्रयोजनार्थ भूमि सुरक्षित रखने के बारे में ही विचार किया है। इस प्रकरण में नियम 5 व 6 की पालना किये बिना ही आवंटन आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। भूमि आवंटन संबंधी नियम 7 के अनुसार भूमि आवंटन संबंधी कार्यवाही करने से पूर्व कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की है और न भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन ही आमन्त्रित किये है। उपखण्ड अधिकारी ने समस्त कार्यवाही स्थानीय राजनीती से प्रभावित होकर पक्षपात ढंग से व गोपनीय तरीके से की गयी है, जो निरस्त होने योग्य है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 15.06.1999 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। अप्रार्थी पालाराम, मूलाराम पुत्रगण पदमाराम अहीर निवासी खटकड़ को ग्राम खटकड़ के खसरा नम्बर 734 रकबा 0.42 है0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति नीमकाथाना द्वारा दिनांक 15.06.1999 को आवंटन की गई भूमि से सम्बंधित आवंटन आदेश का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजात में विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 734 के सम्बंध में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भूरा पुत्र हणुता, किशना पुत्र काना यादव व कजोड़ पुत्र भूरा अहीर निवासी खटकड़ के नाम से दिनांक 23.03.1998 को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जारी उक्त नोटिस में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 734 रकबा 0.42 है0 की किस्म गै.मु.नला अंकित है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रार्थी कजोड़ पुत्र भूरा अहीर निवासी खटकड़ व अन्य के नाम से दिनांक 23.03.1998 को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस के अवलोकन से यह जाहीर है कि विवादग्रस्त आराजियात पर प्रार्थी व अन्य ने अनाधिकृत अतिक्रमण किया है एवं उक्त आराजियात को आवंटन सलाहकार समिति नीमकाथाना द्वारा अप्रार्थी पालाराम व मूलाराम को आवंटन कर दी गई। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रार्थी व अन्य के नाम से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत जारी नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात की किस्म गै.मु.नला है। गै.मु.नला की भूमि के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब्दूल रहमान बनाम स्टेट में ऐसी अनियमितताओं को राजस्व मण्डल राजस्थान से निरस्त करवाने के आदेश भी है। भूमि की किस्म गै.मु.नला दर्ज रिकॉर्ड होने के बावजूद आवंटन सलाहकार समिति नीमकाथाना द्वारा अप्रार्थी पालाराम, मूलाराम पुत्रगण पदमाराम अहीर निवासी खटकड़ के पक्ष में दिनांक 15.06.1999 को आवंटन किया है उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। अतः आवंटन सलाहकार समिति नीमकाथाना द्वारा अप्रार्थी पालाराम, मूलाराम पुत्रगण पदमाराम अहीर निवासी खटकड़ के पक्ष में दिनांक 15.06.1999 को किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में मौके की जांच करें एवं जांच उपरांत किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है तो एक माह की अवधि में अतिक्रमियों के विरूद्व नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर